

भाग-5

(इस वन प्रभाग के प्रभारी सचिव अथवा राज्य सरकार के किसी अन्य प्राधिकरण अधिकारी को अवर सचिव के पद के नीचे का अधिकारी न हो द्वारा भरा जाना है)

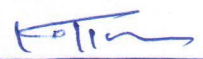
जनपद बुलंदशहर में दिल्ली- कानपुर मार्ग एनएच-91 (नया एनएच-34) कि०मी० 61 भाग से 70 भाग तक बांयी पटरी की 0.45 हे० संरक्षित वनभूमि में इण्डियन ऑयल अदानी गैस प्राईवेट लिमिटेड की गैस पाईप लाईन डालने के संबंध में (प्रस्ताव सं० एफपी/यू०पी०/अदर्स/120617/2021)।

राज्य सरकार की सिफारिशें-पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन अनुभाग-2 के शासनादेश संख्या-2109/81-2-2022-800(94)/2021 दिनांक 24 मई के द्वारा प्रस्ताव पर मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी की संस्तुति के आधार पर संस्तुत।

(उपर्युक्त भाग-ख, भाग-ग या भाग-घ में से किसी अधिकारी या प्राधिकारी द्वारा की गयी प्रतिकूल टिप्पणियों पर विशिष्ट टिप्पणी की जाये।)

दिनांक- 24/05/2022

हस्ताक्षर

()

नाम और पदनाम

सरकारी मुहर
(आशीष तिवारी)

सचिव,
पर्यावरण, वन एवं जलवायु
परिवर्तन विभाग,
उत्तर प्रदेश शासन।